न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 246/2017/225 आरटीए

1. रामकुमार पुत्र बगडावतराम जाति मेघवाल निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. श्रवण कुमार पुत्र बगडावतराम जाति मेघवाल निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. बाबूसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी चक 3 एमएमके तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–––रेस्पो0

3. धन्नाराम पुत्र बगडावतराम जाति मेघवाल निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 23.06.2017 न्यायालय उपखण्डाधिकारी संगरिया

प्रकरण संख्या 82/2012 अनवानी बाबूसिंह बनाम रामकुमार आदि

श्री विनोद कुमार पारीक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

श्री प्रद्युम्न सिंह परमार अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3

निर्णय दिनांक –25.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि के लिये रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि मे से स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन कतई गलत व अपीलांट व रेस्पो0 सं. 3 को जवाबदेही का कोई

अवसर प्रदान न करते हुए विधि विरूद्ध रूप से पारित किया है जो खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करने व प्रकरण मे सुनवाई का अवसर प्रदान करने संबंधी कोई विधिक कार्यवाही नही की है जिसके परिणामस्वरूप अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने व सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व शिविर मे प्रश्नगत रास्ता की स्वीकृति के लिए अपीलांट की कोई सहमति न होने पर भी इस प्रकरण को निस्तारित कर अपने अधिकार क्षेत्र का मनमाना प्रयोग किया है जबकि प्रकरण उक्त शिविर से पूर्व कई वर्षो से ही विचाराधीन था तथा पत्रावली मे दिनांक 29.05.2017 वास्ते जवाब हेतु नियत थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली का निस्तारण दिनांक 23.06.2017 को राजस्व शिविरो मे कर दिया गया जिसकी कोई सूचना अपीलांट व रेस्पो0 सं. 3 को नही दी। राजस्व शिविरो मे ऐसे प्रकरणों का ही निस्तारण किया जा सकता था जिनके संबंध मे उभयपक्ष के दरमियान सहमति अथवा राजीनामा हो। धारा 251 क आरटीए के प्रावधानो मे वैकल्पिक रास्ता न होने की सूरत मे ही रास्ता स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था की है जबकि रेस्पो0 सं. 1 जिसकी कृषि भूमि प.न. 163/194 व 164/194 एवं 165/196 मे स्थित है। पत्थर लाईन 164 पर पक्की सड़क है जिसमे से होकर रेस्पो0 सं. 1 अपनी कृषि भूमि मे सही एवं सुचारू रूप से बिना किसी बाधा के आवागमन कर रहा है। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा केवल मात्र अपनी सुविधा को मध्यनजर रखते हुए उक्त रास्ता मंजूर करवाया है जबकि रेस्पो0 सं. 1 को अपनी कृषि भूमि मे आने जाने के लिए पहले से ही रास्ता मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय ने डीएलसी रेट का भी मूल्यांकन सही नही किया जबकि इस कृषि भूमि का बाजार मूल्य अत्यधिक है। अपीलांट लघु जोत के कृषक है जिन्हे काश्त के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को भूमि के बदले भूमि के विकल्प पर भी विचार किया जाना चाहिए था ऐसा न कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय कतई गलत व विधि विरूद्ध पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट विचारणीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.05.15 को हाजिर आ चुके थे तथा दिनांक 18.05.15 से लगातार अपीलांट व रेस्पो0 सं. 3 के जवाब मे पत्रावली लगातार चलती रही लेकिन अपीलांट व रेस्पो0 सं. 3 द्वारा प्रकरण को देरीना करने की नियत से जानबूझकर जवाब प्रस्तुत नही करने पर दिनांक 28.01.16 को 100/—रू0 कॉस्ट पर अंतिम मौका दिया गया तथा दिनांक 28.03.16

को 200/—रू0 कॉस्ट पर जवाब हेतु नौवा मौका दिया गया तथा जवाब हेतु कुल 21 अवसर के बाद भी जवाब ना पेश करने के कारण विचारणीय न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो पूर्णतः विधि अनुसार पारित किया गया है। विचारणीय न्यायालय द्वारा प्रकरण मे पटवारी व गिरदावर हल्का से रिपोर्ट मंगवाई गई तथा रिपोर्ट मे भी प्रार्थी के पास मंजूरशुदा रास्ता न होने बाबत रिपोर्ट आई तथा सबसे निकटतम रास्ता भी प.न. 163/194 कि0न0 21 व 22 जिसकी मांग रेस्पो द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे की गई, को सबसे सुविधाजनक व निकटतम रास्ते की रिपोर्ट मौका पर जाकर बनाई गई। अपीलाधीन आदेश मे स्वीकृतशुदा रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है तथा उक्त रास्ता ही सुविधाजनक है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. 2 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर अपीलांट की खातेदारी भूमि रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किया गया। जबकि उक्त रास्ता जो अपीलांट की खातेदारी भूमि मे स्वीकृत किया गया, जिसमे अपीलांट की तामील नही करवाई गई जिसके कारण अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ। प्रश्नगत रास्ता अपीलांट को बिना सुने एवं बिना तलबी करवाये स्वीकृत किया गया। पटवारी व गिरदावर हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी एवं उसके भाई रास्ता देने पर सहमत नही है तथा अप्रार्थी सं. 2 धन्नाराम ने कथन किया कि बिना सुनवाई किए निर्णय पारित नही किया जावें। अपीलांट के कथनानुसार रेस्पो0 सं. 1 की कृषि भूमि प.न. 163/194 व 164/194 एवं 165/196 मे स्थित है। पत्थर लाईन 164 पर पक्की सड़क है जिसमे से होकर रेस्पो0 सं. 1 अपनी कृषि भूमि मे सही एवं सुचारू रूप से बिना किसी बाधा के आवागमन कर रहा है। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा केवल मात्र अपनी सुविधा को मध्यनजर रखते हुए उक्त रास्ता मंजूर करवाया है। इस प्रकार यह प्रथम दृष्टयां साबित था कि प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किये जाने बाबत अपीलांट सहमत नही था इसके बावजूद भी अपीलांट को अपने पक्ष

रखने बाबत कोई अवसर प्रदान नही किया गया तथा प्रश्नगत प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानो के अनुसार निकटतम एवं सुविधाजनक रास्ता स्वीकृत किया जाना चाहिए तथा प्रस्तावित रास्ता के अलावा वैकल्पिक रास्ता के बिन्दू को भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित पक्षकार की बिना तामील करवाये एवं बिना सुने पारित आदेश पुष्टि किया जाना उचित नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ के न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 19.02.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़